राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांकः–31.05.2011

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 अधिनियम संख्या 14) की धारा–9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान आवासन मण्डल की 'स्ववित्त पोषित योजना' (एस.एफ.एस.) के तहत मूल आवंटी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड पर निर्मित भवन (भूमि को छोडकर) के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निष्पादित कन्वेन्स डीड मूल आवंटी के पक्ष में पंजीकृत होने पर ऐसी कन्वेन्स डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार इस शर्त पर किया जावेगा कि भूमि के सम्बन्ध में जारी परपेच्युअल लीज डीड पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है।

यह अधिसूचना दिनांक 26.03.1999 से प्रभावी होगी परन्तु किसी भी मामले में अदा की जा रही चुकी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का प्रतिदाय नही होगा।

(क्रमांकः प.2(53)वित्त / कर / 10–20)
राज्यपाल के आदेश से

31.5

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
शासन उप सचिव,

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांक :एफ–7(52)जन/11/ 13064–13513 दिनांक :7/06/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. ए0सी0पी0, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

07/6/11

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर